पटना उच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार में
लेटर्स पेटेंट अपील सं० 1248/2018
सिविल रिट संख्या 2303/2015

= =

अशोक कुमार, पिता– स्वर्गीय बलदेव सिंह, निवासी–महाबीर स्थान, मोलदियार टोला मोकामा, जिला– पटना, बिहार

.... अपीलार्थी/ओं

बनाम

1. नेशनल टेक्सटाइल कॉर्पोरेशन लिमिटेड, स्कोप कॉम्प्लेक्स, कोर–IV, लोधी रोड, नई दिल्ली 110003 द्वारा अध्यक्ष सह प्रबंध निदेशक
2. अध्यक्ष सह प्रबंध निदेशक, नेशनल, नेशनल टेक्सटाइल कॉर्पोरेशन लिमिटेड, स्कोप कॉम्प्लेक्स, कोर–IV, लोधी रोड, नई दिल्ली 110003
3. निदेशक (एच एंड आर), नेशनल टेक्सटाइल कॉर्पोरेशन लिमिटेड, स्कोप कॉम्प्लेक्स, कोर–IV, लोधी रोड, नई दिल्ली 110003
4. प्रबंध निदेशक सह प्रभारी, राष्ट्रीय वस्त्र निगम लिमिटेड, 7 जवाहरलाल नेहरू मार्ग कोलकाता–700013
5. उप महाप्रबंधक, राष्ट्रीय वस्त्र निगम लिमिटेड, उप कार्यालय कोलकाता–7, जवाहरलाल नेहरू मार्ग, कोलकाता, 700013
6. वरिष्ठ प्रबंधक (एफ एंड ए) कानूनी/आई. ए., राष्ट्रीय वस्त्र निगम लिमिटेड उप–अधिकारी, कोलकाता, 7 जवाहरलाल नेहरू रोड, कोलकाता–700013

.... उत्तरदातागण/विपक्षीगण

= =

रूपः

अपीलार्थी/ओं के लिए	:	श्री सुरेश प्रसाद सिंह नं. 1, अधिवक्ता
		श्री कुमारी रश्मि, अधिवक्ता
उत्तरदाताओं के लिए	:	डॉ. मायानंद झा, अधिवक्ता
		श्री गिरिधर गोपाल तिवारी, अधिवक्ता

= =

पटना उच्च न्यायालय के पत्र पेटेंट–भारत के संविधान का खंड 10–– अनुच्छेद 14–सेवा कानून–– भुगतान निर्धारण–– रिट अदालत के निर्णय को चुनौती देता है जिसके तहत वेतनमान संशोधन के लिए अपीलार्थी के दावे को इस आधार पर खारिज कर दिया गया था कि अपीलार्थी ने दिनांक 1 के परिपत्र के तहत स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति योजना का विकल्प नहीं चुना था कि स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति योजना को कभी भी उन कर्मचारियों के मामले में लागू नहीं किया गया था जिन्होंने इसे चुना था और इसके परिणामस्वरूप। केवल

इसलिए कि अपीलार्थी ने स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति योजना का विकल्प नहीं चुना था, इसे लाभों से इनकार करने का आधार नहीं बनाया जा सकता था।

निर्धारित किया गयाःअपीलार्थी ने अपने स्वयं के आचरण से खुद को उन कर्मचारियों की श्रेणी में नहीं रखा जिन्हें काल्पनिक वेतनमान संशोधन का लाभ दिया गया था, इसलिए यह लाभ प्राप्त करने के लिए सकारात्मक भेदभाव के किसी भी कार्य की शिकायत करने का आधार नहीं हो सकता है–यह उत्तरदाताओं का स्पष्ट मामला है कि किसी भी अधिकारी को जिसने योजना का विकल्प नहीं चुना था, उसे ऐसा कोई लाभ नहीं दिया गया है। (कंडिका 3,11,12)

==

पटना उच्च न्यायालय का निर्णय/आदेश

==

कोरमः माननीय मुख्य न्यायाधीश महोदय

और

माननीय न्यायमूर्ति श्रीमती अंजना मिश्रा

(प्रतिः माननीय मुख्य न्यायाधीश महोदय) मौखिक निर्णय

तारीखः15–04–2019

अपीलार्थी की ओर से विद्वान वकील श्री सुरेश प्रसाद सिंह नंबर 1 और प्रतिवादी राष्ट्रीय वस्त्र निगम की ओर से श्री मायानंद झा को सुना।

2. इस याचिका में पटना उच्च न्यायालय के सी०डब्लयू०जे०सी० 2303/2015 में 30 जुलाई, 2018 के विद्वान एकल न्यायाधीश के फैसले को चुनौती दी गई है। जिसके द्वारा 24 अक्टूबर, 2014 को याचिकाकर्ता के अभ्यावेदन को अस्वीकार करते हुए पारित आदेश को बरकरार रखा गया है। अपीलार्थी ने छठे केंद्रीय वेतन संशोधन आयोग की रिपोर्ट के अनुसार वेतन–संशोधन की समानता का दावा किया था, जैसा कि 35 अन्य कर्मचारियों को इस आधार पर दिया गया था कि केवल इसलिए कि अपीलार्थी ने स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति योजना का विकल्प नहीं चुना था, उसे उक्त लाभ से वंचित नहीं किया जा सकता था जब अन्य जिन्होंने योजना का विकल्प चुना था, उन्हें जारी रखा गया था और उन्हें उक्त लाभ दिया गया था।

3. अपीलार्थी के विद्वान वकील ने प्रस्तुत किया कि वास्तव में, जिन कर्मचारियों को लाभ दिया गया था, जिनके साथ भेदभाव की शिकायत की जा रही थी, उनके मामले में स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति योजना को कभी भी लागू नहीं किया गया था, भले ही उन्होंने चुना हो और इसके परिणामस्वरूप, केवल

इसलिए कि अपीलार्थी ने स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति योजना का विकल्प नहीं चुना था, उन्हें उक्त लाभों से इनकार करने का आधार नहीं बनाया जा सकता था। श्री अरुण कुमार झा सहित उन कर्मचारियों को भी छठे वेतन संशोधन आयोग की रिपोर्ट के समान लाभ दिए गए हैं जिनके नाम रिट याचिका में संदर्भित किए गए थे।

4. इसलिए, संक्षेप में तर्क यह है कि भले ही एम. वी. आर. एस. (संशोधित स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति योजना) की नीति का लाभ उठाया जा सकता था और अपीलार्थी ने इसका विकल्प नहीं चुना था, फिर भी उस स्थिति में वही मानक लागू किए जाने चाहिए थे और अपीलार्थी को भी इसी आधार पर रखा जाना चाहिए था। इसके लिए, ऐसा प्रतीत होता है कि अपीलार्थी ने केंद्रीय प्रशासनिक न्यायाधिकरण का दरवाजा खटखटाया था और उसके बाद राहत नहीं मिलने पर, उसने 2013 की सी.डब्ल्यू.जे.सी. संख्या 19771 में फिर से उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया, जिसका 24 जुलाई, 2014 को निपटारा कर दिया गया था और प्रतिवादी से याचिकाकर्ता के दावे पर विचार करने और एक उचित आदेश पारित करने का आह्वान किया गया था।

5. उच्च न्यायालय के उपरोक्त निर्देशों के अनुसरण में, 24 अक्टूबर, 2014 की रिट याचिका में आक्षेपित आदेश पारित किया गया था जिसमें कहा गया था कि अपीलार्थी को इस आधार पर वेतनमान संशोधन की अनुमति नहीं दी गई है कि अपीलार्थी ने स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति योजना का विकल्प नहीं चुना था। इसमें कहा गया है कि नीति में स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति योजना को तभी प्रस्तुत करने की आवश्यकता थी जब वेतनमान के संशोधन पर विचार किया जा सके।

6. विवाद की बेहतर व्याख्या के लिए, 30 अप्रैल, 2010 के प्रस्ताव वाले प्रस्तुत किया परिपत्र को नीचे किया गया हैः–

"राष्ट्रीय वस्त्र निगम लिमिटेड

(भारत सरकार का एक उपक्रम)

स्कोप कॉम्प्लेक्स,

कोर–IV, 7 लोधी रोड,

नई दिल्ली–110003

नं. एनटीसी/पी. ई. आर. एस./5 (13)/09

परिपत्र

विषयः बंद मिलों, जेवी मिलों और पूर्ववर्ती सहायक कार्यालयों के कर्मचारियों को अनुमानित रूप से निर्धारित संशोधित वेतन पर एमवीआरएस लाभ।

एन. टी. सी. के कर्मचारियों के वेतन संशोधन को उन मामलों में लागू किया जा रहा है जो सी. डी. ए. वेतन पैटर्न के तहत आते हैं जो 01–01–2006 से प्रभावी हैं और आई. डी. ए. वेतन पैटर्न 01–01–2007 से प्रभावी है, जो 01–03–2010 से प्रभावी है। **इस संशोधन में सी. डी. ए. और आई. डी. ए. के कार्यपालक और कर्मचारियों के मामले सी. डी. ए. और आई. डी. ए. के कर्मचारियों पर लागू नहीं होते हैं।** बंद मिल्स, जे. वी. मिल्स और पूर्ववर्ती सहायक कार्यालय जिनके पास कोई काम नहीं है, क्योंकि इससे कंपनी पर अतिरिक्त वित्तीय बोझ पड़ेगा जो चालू स्थिति में है। ऐसे कर्मचारियों को पिछले कुछ समय से बिना किसी काम के मजदूरी/वेतन दिया गया है। अब तक कई साल। **हालाँकि, कंपनी उन्हें 01–01–2006 की प्रभावी तिथि से संशोधित वेतनमान में उनके वेतन को काल्पनिक रूप से निर्धारित करके एम. वी. आर. एस. लाभ प्रदान करेगी।** सी. डी. ए. और आई. डी. ए. के मामलों में एम. वी. आर. एस. स्वीकार करने पर कर्मचारियों को क्रमशः वेतन मिलता है। हालांकि यह कंपनी के लिए एक अतिरिक्त लागत होगी, लेकिन यह उन कर्मचारियों के लिए **एक अतिरिक्त मुआवजा होगा जो एमवीआरएस** का लाभ उठाना चाहते हैं। यह कंपनी को कंपनी के बेकार वेतन के भुगतान में वित्तीय बोझ को कम करने में सक्षम बनाएगा।

सभी संबंधित कर्मचारियों से अनुरोध है कि वे उपरोक्त निर्णय पर ध्यान दें और अपने **एम. वी. आर. एस. आवेदन या पर जमा करें मौजूदा योजना के अनुसार 31–05–2010 से पहले**।

बंद मिलों/जेवी मिलों और निगम के पूर्व सहायक कार्यालयों के कर्मचारी जिन्होंने नई हरित क्षेत्र परियोजनाओं में स्थानांतरण का विकल्प चुना, वे भी एमवीआरएस के लिए आवेदन कर सकते हैं। हालाँकि, उनके एम. वी. आर. एस. की स्वीकृति ग्रीन फील्ड परियोजनाओं या कहीं और स्थानांतरण के लिए उनकी उपयुक्तता और रिक्तियों की उपलब्धता पर प्रबंधन के निर्णय के अधीन होगी।

सभी संबंधित कर्मचारियों से अनुरोध है कि वे ध्यान दें कि उन्हें एम.वी.आर.एस. का लाभ उठाने का यह अंतिम मौका होगा। इनमें से कुछ बचे हुए कर्मचारी जो एम. वी. आर. एस. का विकल्प नहीं चुनते हैं, उन्हें प्रबंधन द्वारा रिक्ति की उपलब्धता के अधीन देश में कहीं भी कार्यरत इकाइयों/कार्यशील कार्यालयों में स्थानांतरित करने के लिए विचार किया जा सकता है। प्रबंधन के पास इस श्रेणी के शेष कर्मचारियों की सेवाओं को उनके रोजगार की शर्तों के अनुसार वितरित करने

के अलावा कोई अन्य विकल्प नहीं बचेगा। सभी संबंधितों से अनुरोध है कि वे इस मामले में संबंधित कर्मचारियों को व्यापक प्रचार और व्यक्तिगत जानकारी दें।

(बी. के. मिश्रा)
निदेशक (वित्त)"

7. यह रिकॉर्ड पर रखा जा सकता है कि अपीलार्थी का भुगतान–निर्धारण आदेश पहले 21 दिसंबर, 2009 के कार्यालय आदेश के पारित होने में समाप्त हो गया था जिसे रिट याचिका के अनुलग्नक–7 के रूप में रिकॉर्ड में दायर किया गया है।

8. अपीलार्थी के पूरे दावे की गंभीरता यह है कि यदि परिपत्र के तहत उक्त योजना, भले ही अरुण कुमार झा जैसे कर्मचारी द्वारा चुनी गई हो, प्रसारित की गई थी, और भले ही अपीलार्थी को व्यक्तिगत रूप से इसके बारे में सूचित नहीं किया गया था, फिर भी इसके कार्यान्वयन से उक्त कर्मचारियों की कोई सेवानिवृत्ति नहीं हुई, जो पूरे समय जारी रहे और उन्हें वेतनमान संशोधन का लाभ मिला, जिससे अपीलार्थी को इनकार कर दिया गया है, जो स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति का विकल्प चुने बिना भी सेवा में बने हुए थे। इसलिए, यह एक स्पष्ट भेदभाव है, क्योंकि सेवानिवृत्ति का विकल्प चुनने के बावजूद, सेवा में बने रहने के बावजूद, वे अपीलार्थी के बराबर थे, जिन्हें सेवानिवृत्ति का विकल्प चुने बिना सेवा में बनाए रखा गया था। इसलिए, यह भारत के संविधान के अनुच्छेद 14 के तहत निर्देशित होता है और परिणामस्वरूप, वेतनमान संशोधन के लाभ से कोई भी इनकार मनमाना होने के कारण, अपीलार्थी समान लाभों का हकदार है।

9. हालाँकि, विद्वान एकल न्यायाधीश ने प्रत्यर्थियों की ओर से दिए गए तर्क को स्वीकार कर लिया कि चूंकि अपीलार्थी ने स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति योजना का विकल्प नहीं चुना था, इसलिए उसने एक अलग वर्ग का गठन किया और इसलिए, उसके लिए आवेदन किए बिना, उसे वेतनमान संशोधन का लाभ नहीं दिया जा सकता था।

10. प्रत्यर्थियों ने अपने जवाबी हलफनामे में एक मामला उठाया था कि ऐसा कोई भी अधिकारी, जिसने स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति योजना का विकल्प नहीं चुना था और जिसे सेवा में जारी रखा गया था, को इस तरह का लाभ नहीं दिया गया था। यदि ऐसा होता तो अपीलार्थी को भी उक्त लाभ दिया जाता, लेकिन ऐसा कोई अधिकारी नहीं है जिसे योजना का विकल्प न चुनने पर वेतनमान संशोधन का लाभ भी दिया गया हो। इस प्रकार, निगम द्वारा कोई भेदभाव नहीं किया गया था और परिणामस्वरूप, विद्वान एकल न्यायाधीश द्वारा निकाला गया निष्कर्ष में कोई वैधानिक कमी नहीं है।

11. हमने उठाई गई दलीलों पर विचार किया है। अपीलार्थी उत्तरदाताओं की कार्रवाई का लाभ चाहता है जहां उत्तरदाताओं पर आरोप है कि उन्होंने उन लोगों को भी लाभ दिया है जिन्होंने अरुण

कुमार झा सहित स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति योजना का विकल्प चुना था। यह तथ्य विवादित प्रतीत नहीं होता है, लेकिन हम जो पाते हैं वह यह है कि 30 अप्रैल, 2010 के परिपत्र को चुनौती नहीं दी गई है। यह भी विवादित नहीं है कि याचिकाकर्ता की तरह कोई कर्मचारी नहीं है, जिसने परिपत्र दिनांक 30.04.2010 के तहत स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति के विकल्प का उपयोग नहीं किया था, को काल्पनिक वेतनमान संशोधन का लाभ दिया गया है। यह सच है कि अपीलार्थी सेवा में बना रहा, और कुछ अन्य भी, लेकिन तथ्य यह है कि कुछ अन्य कर्मचारियों ने स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति योजना का विकल्प चुना, जबकि अपीलार्थी ने अपनी पसंद को रोक दिया। हमारी राय में, 30 अप्रैल, 2010 का परिपत्र काल्पनिक वेतनमान संशोधन का लाभ केवल उन लोगों को देता है जिन्होंने अपनी इच्छा दिखाई थी और वास्तव में स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति योजना का विकल्प चुना था। अपीलार्थी ने ऐसा विकल्प नहीं चुना है, इसलिए उसे यह तर्क देने की अनुमति नहीं दी जा सकती है कि वह एक ही वर्ग का है और एक ही श्रेणी से संबंधित है। अपीलार्थी ने अपने स्वयं के आचरण से खुद को श्री अरुण कुमार झा और अन्य जैसे कर्मचारियों की श्रेणी में नहीं रखा और इसलिए, यह लाभ प्राप्त करने के लिए सकारात्मक शत्रुतापूर्ण भेदभाव के किसी भी कार्य की शिकायत करने का आधार नहीं हो सकता है, क्योंकि उत्तरदाताओं का यह स्पष्ट मामला है कि किसी भी अधिकारी को जिसने योजना का विकल्प नहीं चुना था, उसे ऐसा कोई लाभ नहीं दिया गया है। याचिकाकर्ता ने स्वेच्छा से यह अवसर खो दिया है और वह अपने दावे को भारत के संविधान के अनुच्छेद 14 के सिद्धांत पर आधारित नहीं कर सकता है और इसलिए हम पटना उच्च न्यायालय के एकल न्यायाधीश के फैसले में कोई त्रुटि नहीं पाते हैं कि उसमें हस्तक्षेप करें।

12. हालाँकि, अपीलार्थी के लिए यह खुला छोड़ दिया जाता है कि वह इस स्थिति में अपना दावा स्थापित करे कि ऐसा कोई भी अधिकारी जिसने अभी तक योजना का विकल्प नहीं चुना है, उसे उक्त लाभ दिया गया है। यदि यह अपीलार्थी द्वारा स्थापित किया जाता है, तो निगम ऐसे किसी भी कर्मचारी के साथ किए गए व्यवहार के अनुसार इस पर विचार करने के लिए उत्तरदायी होगा। इसलिए हम उपरोक्त अवलोकन के साथ इस अपील को स्वीकार करते हैं।

(अमरेश्वर प्रताप साही, मुख्य न्यायाधीश)

(अंजना मिश्रा, न्यायमूर्ति)

पी.के..पी./–जगदीश

खंडन (डिस्क्लेमर)– स्थानीय भाषा में निर्णय के अनुवाद का आशय, पक्षकारों को इसे अपनी भाषा में समझने के उपयोग तक ही सीमित है और अन्य प्रयोजनार्थ इसका उपयोग नही किया जा सकता । समस्त व्यवहारिक, कार्यालयी, न्यायिक एवं सरकारी प्रयोजनार्थ, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण ही प्रमाणिक होगा साथ ही निष्पादन तथा कार्यान्वयन के प्रयोजनार्थ अनुमान्य होगा।